UPAN010010562026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–259/2026

शाहरूख खान आयु लगभग 20 वर्ष पुत्र अरशद अहमद, निवासी मो०– शहजौरा इल्तिफातगंज, थाना इब्राहिमपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।

----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ----------अभियोजन पक्ष

09.03.2026

आवेदक/अभियुक्त शाहरूख खान की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र मु०अ०सं०–29/2026 अन्तर्गत धारा–305ए व 317(2) बी०एन०एस०, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकर नगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार हशरूनिशा द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.2026 को समय लगभग 06.50 बजे वादी मुकदमा अतहर इमाम द्वारा सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वह वर्तमान समय में केऔसुब इकाई एन.टी.पी.सी. टाण्डा मे कार्यरत है। आज दिनांक 24.02.2026 को समय करीब 01.30 बजे नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि क्यारटी टीम द्वारा 02 चोरो को केबल चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इस सूचना पर मै क्यूआरटी टीम से सम्पर्क कर सेन्ट्रल स्टोर में आया। मौके पर क्यूआरटी टीम द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम शाहरूख खान पुत्र अरशद अहमद तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम निजामुद्दीन पुत्र जब्बार अली बताया। क्यूआरटी टीम द्वारा मौके पर पास में रखी ग्रे व काले रंग की दो अलग–अलग केबल दिखाया गया। दोनों केबल कई हिस्सो में काँटी गई थी। यही केबल पकड़े गये दोनों व्यक्ति हेक्सा ब्लेड से काटकर चोरी कर रहे थे, मौके से हेक्सा ब्लेड भी बरामद हुई है। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से कटी हुई केबलो के संबंध में पूछा गया, तो दोनों ने अपनी गलती मानते हुए बताया कि इस केबलो को हम लोग चोरी से काटकर उसके टुकड़ो को धीरे–धीरे बाउण्ड्री से बाहर निकालकर ले जाकर बेचते, जो पैसे मिलते उससे अपना खर्चा पानी चलाते। चोरो से बरामद पतला केबल ग्रे रंग जिस पर नेशनल केवल 1100 बोल्ट 95.0so mm अंशिथेड करीब 42 मीटर, दूसरा काले रंग का मोटा केबल 23 मीटर (दोनो केबल कटे हुए टुकड़े में) प्राप्त हुए। मौके पर स्टोर मैनेजर गुरूदेव प्रसाद को बुलाने पर वे आये, जिनके द्वारा बरामद केबल की पहचान की गई। जिसके उपरान्त हम सभी मौके पर पकड़े गये दोनों चोरो बरामद केबल, क्यूआरटी टीम व स्टोर मैनेजर के साथ थाना अलीगंज अग्रिम कार्यवाही हेतु आये। अतः प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०– 29/2026 धारा–305ए व 317(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया।

आवेदक/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष हैं, उसे रंजिशन हैरान व परेशान करने के लिये झूठा फंसाया गया है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया है कि मुझे चोरी की सूचना मिली, जिससे स्पष्ट है कि वादी ने घटना को नहीं देखा है। कथित केबल किस धातु की बनी थी, इसका कोई उल्लेख प्रथम सूचना

रिपोर्ट में नहीं है। उसने कोई घटना कारित नहीं किया है और न ही उसके पास से कोई बरामदगी हुई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 24.02.2026 से जिला कारागार, अम्बेडकर नगर में निरूद्ध है। अतः उसने स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की ओर से केस डायरी के प्रसांगिक पर्चे सहित अन्य अभियोजन प्रपत्रो को प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने सहअभियुक्त के साथ मिलकर एन.टी.पी.सी. टाण्डा के सेन्ट्रल स्टोर रूम से केबल की चोरी किया, जो पकड़े जाने पर उसके पास से बरामद हुआ। कथित घटना व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं कहा गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 24.02.2026 से जेल में निरूद्ध है। सामान्य नियम यह है कि जमानत दी जानी चाहिए, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न न हों। मामले के विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं पाता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शाहरूख खान की ओर से मु०अ०सं०–29/2026 अन्तर्गत धारा–305 ए व 317(2) बी०एन०एस०, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०– 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत वन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त प्रकरण के विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेगा न ही धमकायेगा और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में विचारण न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनांक 09.03.2026

(राम विलास सिंह)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
अम्बेडकर नगर।